कल्याणकारी उपाय

गुजरात भूकंप राहत के लिए प्राप्त संदानों को उपयोग करने की तारीख का विस्तारण

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ के विद्यमान उपबंधों के अनुसार, किसी निर्धारिती को उसके द्वारा विनिर्दिष्ट पूर्त निधियों और संस्थाओं को किए गए संदानों की बाबत, उसकी कुल आय से कटौती अनुज्ञात की जाती है। राष्ट्रीय महत्ता की कतिपय निधियों को संदानों की बाबत कटौती की रकम, संदान का 100% है, जबकि अन्य अनुज्ञात निधियों/संस्थाओं को संदानों की बाबत कटौती 50% पर उपलब्ध है। गुजरात के भूकंप की गुरूता को देखते हुए 30 सितम्बर,, 2001 तक न्यासों, निधियों और संस्थाओं को प्राप्त ऐसे संदानों को, जिन्हे भूकंप पीड़ितों को राहत देने के लिए उपयोग किया जाना है, कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा 100% कटौती अनुज्ञात की गई थी। ऐसे संदानों का गुजरात में भूकंप पीड़ितों को राहत देने के लिये 31 मार्च, 2002 तक उपयोग किया जाना था। अप्रयुक्त रकम को 31 मार्च,2002 तक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत निधि में अंतरित किया जाना था। इसमें असफल रहने पर, संदानों की अप्रयुक्त रकम या ऐसी रकम पर जिसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत निधि में अंतरित नहीं किया जाता है और जो ऐसी निधियों, संस्थाओं या न्यासों के पास रह जाती है, आय-कर अधिनियम 1961, की धारा 10 के खंड (23ग) या धारा 12 के उपबंधों के निबंधनों के अनुसार कर लगाया जाना था। इसके अतिरिक्त, ऐसे न्यासों, निधियों और संस्थाओं को ऐसी निधियों के संबंध में पृथक् लेखे रखने थे और इन्हें 30 जून, 2002 तक विहित प्राधिकारी को देना था।

विस्तृत पैमाने पर हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए, एक वर्ष की सीमित अवधि में, राहत कार्य पूरा करना संभव नहीं हो सकेगा। अतः, यह प्रस्ताव किया जाता है कि पात्र संदानों का उपयोग करने और अप्रयुक्त निधियों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत निधि में अंतरित करने की समय सीमा को 31 मार्च,2002 से 31 मार्च, 2003 तक विस्तारित किया जाए। यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि विहित प्राधिकारी को पृथक् लेखे प्रस्तुत करने की तारीख को 30 जून, 2003 तक विस्तारित किया जाए। इसके अतिरिक्त, राजकोषीय दंड विधान सुनिश्चित करने के लिए यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि यदि विहित अधिकारी को विहित समय के भीतर कोई लेखे प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो न्यासों, निधियों संस्थाओं द्वारा भूकंप पीडितों को राहत देने के लिए प्राप्त संदानों की रकम को ऐसे न्यासों, निधियों या संस्थानों की आय समझा जाएगा और तद्नुसार, कर से प्रभारित किया जाएगा।

प्रस्तावित संशोधन भूतलक्षी रूप से 3 फरवरी, 2001 से प्रभावी होगा।

[खंड 4(i), 8 और 29]

कुटुम्ब पेंशन के प्राप्तकर्ताओं के लिए धारा 89 के अधीन अनुतोष

आय-कर अधिनियम की धारा 89 के विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी निर्धारिती को, यदि उसके कर दायित्वों में, प्राप्ति के किसी वर्ष में वेतन, वेतन के स्थान पर लाभों, आदि की प्राप्ति के, जिसे बकाया या अग्रिम रूप में संदाय किया गया है, कारण वृद्धि हो गई है तो कर अनुतोष दिया जाता है। कर अनुतोष की संगणना, उस विस्तार को निकाल कर की जाती है, जिस तक कर दायित्व कम होता, यदि ऐसी आय उन वर्षों में प्राप्त की जाती, जिनसे वह संबंधित है। प्रस्तावित संशोधन किसी मृत कर्मचारी के कुटुंब सदस्यों द्वारा बकाया के रूप में प्राप्त कुटुंब पेंशन के लिए वैसे ही अनुतोष का उपबंध करने के लिए है।

प्रस्तावित संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 1996 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 1996-1997 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 36]

नियोजक को कर्मचारियों की ओर से कर संदाय करने का विकल्प देकर परिलब्धियों के कराधान की स्कीम का सरलीकरण

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी नियोजक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह "वेतन" शीर्ष के अधीन आय पर, जिसमें परिलब्धियों का मूल्य सम्मिलित है, स्त्रोत्र पर कर की कटौती करे। उस दशा में, जहां ऐसा कर, नियोजक द्वारा किसी कर्मचारी की ओर से संदत्त किया जाता है वहां वह कर, जो बाध्यता की प्रकृति का है किन्तु ऐसा संदाय न किए जाने पर कर्मचारी द्वारा संदेय होता, परिलब्धि समझा जाए और कर प्रभारित किया जाए।

परिलब्धियों के कराधान की नई प्रस्तावित स्कीमों के अधीन, किसी नियोजक को, किसी कर्मचारी की ओर से, कर्मचारी की आय में से कोई कटौती किए बिना, परिलब्धियों (जो धनीय संदायों के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराई गई हैं) के पूर्ण या आंशिक मूल्य पर कर संदाय करने का विकल्प होगा।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि किसी नियोजक द्वारा उसके विकल्प पर, कर्मचारी की ओर से परिलब्धि (जो धनीय संदायों के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराई गई हैं) के रूप में आय पर संदत्त वास्तविक कर की रकम को परिलब्धियों में सम्मिलित करने से छूट देने के लिए धारा 10 में नया खंड (10गग) अंतःस्थापित किया जाए। यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि नियोजक द्वारा संदत्त ऐसे कर को आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 40 के अधीन नियोजक के पास अनुज्ञेय व्यय के रूप में नहीं समझा जाएगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-04 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगें।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि कर के संग्रहण और वसूली से संबंधित अध्याय-17 के विभिन्न उपबंधों में आवश्यक परिवर्तन किए जाएं। यह प्रस्ताव किया जाता है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 का संशोधन किया जाए, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि नियोजक के पास, किसी कर्मचारी की ओर से, उसकी आय में से कोई कटौती किए बिना परिलब्धियों (जो धनीय संदायों के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराई गई हैं) की प्रकृति की आय पर कर संदाय करने का विकल्प होगा। नियोजक के पास ऐसी संपूर्ण आय या उसके भाग पर कर कटौती करने का विकल्प भी होगा।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि आयकर अधिनियम,1961 की धारा 200 का संशोधन किया जाए, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि कर, विहित समय के भीतर केन्द्रीय सरकार के नामे या जैसा कि बोर्ड निदेश दे, जमा किया जाएगा। यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 203 का संशोधन किया जाए, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां ऐसा कोई कर नियोजक द्वारा कर्मचारी की ओर से संदत्त किया गया है, वहां नियोजक विहित समय के भीतर कर्मचारी को, संदत्त कर की रकम के उस दर के ब्यौरे, जिस पर कर संदत्त किया गया है और अन्य विशिष्टियां देते हुए, विहित प्ररूप में एक प्रमाणपत्र देगा।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि कर्मचारी को, उसकी ओर से नियोजक द्वारा, परिलब्धियों (जो धनीय संदायों के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराई गई हैं) की प्रकृति की आय पर संदत कर के संबंध में प्रत्यय देने के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 199 का संशोधन किया जाए।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि आय-कर अधिनियम,1961 की धारा 195क का संशोधन किया जाए जिससे कि नियोजक द्वारा कर्मचारी की ओर से, परिलब्धियों (जो धनीय संदायों के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराई गई हैं) की प्रकृति की आय पर संदत कर को स्त्रोत पर कर की कटौती के प्रयोजन के लिए कर्मचारी की आय की संगणना से अपवर्जित किया जा सके।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 198 का संशोधन किया जाए, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि नियोजक द्वारा कर्मचारी की ओर से परिलब्धियों (जो धनीय संदायों के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराई गई हैं) की प्रकृति आय पर संदत्त कर को कर्मचारी की आय में नहीं जोड़ा जाएगा।

आय-कर अधिनियम की धारा 190 और धारा 201 में पारिणामिक और स्पष्टीकारक संशोधन प्रस्तावित हैं।

ये संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होंगे।

[खंड 4, 20, 67, 68, 78, 83, 84, 85, 86,और 87]

कम वेतन भोगी कर्मचारियों की दशा में परिलब्धियों पर कर का न लगाया जाना

धारा 17 के विद्यमान उपबंधों के अनुसार, किराया मुक्त आवास या आवास के संबंध में रियायती किराये की प्रकृति से भिन्न परिलब्धियों (जो धनीय संदायों के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराई गई हैं) को, ऐसे कर्मचारियों की दशा में, जिनकी "वेतन" शीर्ष के अधीन आय पचास हजार रूपए से अनधिक है, वेतन आय में नहीं जोड़ा जाएगा।

चूंकि, नियोजक द्वारा कर्मचारी की ओर से ऐसी परिलब्धियों पर कर के संदाय के विकल्प को निर्धारण वर्ष 2003-2004 से प्रवर्तित करने का प्रस्ताव है, इसलिए संक्रमणकालीन वर्ष में, जिसमें ऐसा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है, यह प्रस्ताव किया जाता है कि निर्धारण वर्ष 2002-2003 के लिए ऐसे कर्मचारियों की दशा में, जिनकी आय "वेतन" शीर्षक के अधीन एक लाख रुपए से अनधिक है, सभी परिलब्धियों को कर से छूट दी जाए।

यह संशोधन 1 अप्रैल,2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार, केवल निर्धारण वर्ष 2002-2003 के संबंध में लागू होगा। ***[खंड 11]***

संपूर्ण भारत या किसी संपूर्ण राज्य में महत्वपूर्ण संस्थाओं के कर्मचारियों को विस्तारित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन प्राप्त रकम पर छूट

धारा 10 के खंड (10ग) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन कंपनियों, प्राधिकरणों, आदि के किसी कर्मचारी द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की किसी स्कीम या स्कीमों; अथवा स्वैच्छिक पृथक्करण की किसी स्कीम के अनुसार, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सेवा के पर्यवसान के समय पर प्राप्त रकम पांच लाख रुपए की सीमा तक ऐसे कर्मचारी की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाती है।

धारा 10 के खंड (10ग) में संशोधन का प्रस्ताव किया जाता है जिससे कि छूट की परिधि को, ऐसी किसी ऐसी संस्था के, जिसका महत्व संपूर्ण भारत में या किसी राज्य या राज्यों में है और जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, कर्मचारियों पर विस्तारित करके व्यापक बनाया जा सके।

यह प्रस्तावित संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 4(ज)]

संसाधन जुटाना

धारा 88 के अधीन कर के रिबेट का सुव्यवस्थीकरण

आय-कर अधिनियम की धारा 88, जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि आदि के अभिदाय पर व्यष्टियों या हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों द्वारा संदेय आय-कर से कटौती के लिए उपबंध करती हैं। कटौती, विनिर्दिष्ट लिखतों में विनिधान की गई कुल रकम के 20 प्रतिशत के बराबर है। लेखक, नाट्यलेखन, कलाकार, संगीतकार या खिलाड़ियों के मामले में, ऐसी लिखतों में विनिधान की गई रकम के 25 प्रतिशत के बराबर कटौती है। ऐसे करदाताओं के लिए, जिनकी सकल वेतन आय 1 लाख रुपए (धारा 16 के अधीन अनुज्ञात कटौती के पूर्व) से अधिक नहीं है और जिन मामलों में, सकल वेतन आय, सभी अन्य स्रोतों से कुल सकल आय के 90% से कम नहीं है, उनमें कटौती 30% की दर पर उपलब्ध है।

अल्प बचतों को बनाए रखने की लागत बहुत अधिक है और कतिपय विनिर्दिष्ट अल्प बचतों के मामले में, धारा 88 के अधीन कर के रिबेट के कारण, ऐसी बचतों की प्रभावी लागत अत्यधिक उच्च और खर्चीली है। इस दृष्टि से, धारा 88 के अधीन कर रिबेट की दर को सुव्यवस्थित करने के लिए संशोधन प्रस्तावित है। यह प्रस्ताव है कि उन व्यक्तियों के लिए, जिनकी कुल सकल आय (अध्याय 6क के अधीन कटौती से पूर्व) 1,50,000 रुपए से अधिक है किन्तु 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है वहां रिबेट की दर 10% होगी। तथापि, कम आय के समूह के लिए बचत करने के प्रोत्साहन के रूप में, विधेयक, उन करदाताओं के लिए जिनकी कुल सकल आय (अध्याय 6क के अधीन कटौती से पूर्व) 1,50,000 रुपए से अधिक नहीं है, 20% के रिबेट को जारी रखना प्रस्तावित करता है। आगे, वेतनभोगी वर्ग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उन वेतनभोगी करदाताओं, जिनकी सकल वेतन आय 1 लाख रुपए (धारा 16 के अधीन कटौती अनुज्ञात करने से पूर्व) से अधिक नहीं है, और जहां अन्य स्रोतों से कुल सकल आय 90% से कम नहीं है वहां 30% की दर पर रिबेट उन व्यक्तियों के मामले में उपलब्ध नहीं होगी जिनकी कुल सकल आय (अध्याय 6क के अधीन कटोती से पूर्व) 5 लाख रुपए से अधिक है।

यह उपबंध करने के लिए यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि संदत्त या निक्षिप्त राशियों का पूर्ववर्ती वर्ष की कर प्रभार्य आय में से होना आवश्यक नहीं है। यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किसी भी समय राशियां संदत्त या निक्षिप्त की जा सकेंगी, किन्तु कटौती राशियों के उतने योग पर उपबब्ध होगी, जो पूर्व वर्ष के दौरान कर प्रभार्य कुल आय से अधिक न हो।

सुव्यवस्थीकरण किए जाने के लिए यह भी प्रस्ताव है कि खिलाड़ी,कलाकार आदि के लिए 25% की विशेष दर वापस ली जाए।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि अस्सी हजार रुपए की अर्हित विनिधान की विद्यमान सीमा को जारी रखा जाए।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तद्नुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 35]

निर्धारण वर्ष 2003-2004 के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्रों, आदि में इकाइयों को कटौतियां और 100% निर्यातोन्मुख इकाईयों को 90% तक निर्बंधन

धारा 10क के विद्यमान उपबंधों के अधीन, मुक्त व्यापार क्षेत्रों, साफ्टवेयर तकनीकी पार्कों, इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर तकनीकी पार्कों या विशेष आर्थिक क्षेत्रों(वि.आ.क्षे.) में स्थापित ऐसे नए उपक्रमों को, जो वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर के विनिर्माण या उत्पादन में लगे हैं, निर्यात उपार्जनों से लाभों और अभिलाभों पर ऐसे लाभों के 100% के बराबर कटौती दी जाती है। धारा 10ख 100% निर्यातोन्मुख इकाइयों के निर्यात उपार्जनों के संबंध में वैसी ही कटौती उपबंधित करती है। ऐसी कटौती, ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के, जिसमें उपक्रम, यथास्थिति, वस्तुओं,चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर का विनिर्माण या उत्पादन आरंभ करता है, सुसंगत निर्धारण वर्ष से प्रारंभ होकर लगातार दस वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध रहती है। कटौती की संगणना के लिए वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न अभिलाभों को, ऐसी रकम को हिसाब में लेकर निकाला जाता है, जो कारबार के शुद्ध लाभों से उसी अनुपात में संबंधित है,जिस अनुपात में निर्यात आवर्त निर्धारिती द्वारा किए गए कारबार के कुल आवर्त से है।

अल्पकाल में संसाधन संग्रहण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, संशोधन, ऐसे लाभों और अभिलाभों की, जो किसी उपक्रम को वस्तुओं,चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न हुए हैं, केवल निर्धारण वर्ष 2003-2004 के लिए कटौती को 90% तक निर्बंधित करने के लिए है।

[खंड 5 और खंड 6]

कर प्रशासन का सुदृढ़ीकरण

प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण कार्यक्रम में लगे हुए संगमों और संस्थाओं को भुगतान के रूप में व्यय

धारा 35 गगख के विद्यमान उपबंधों के अधीन, कोई कारबार या वृत्ति करने वाले निर्धारिती द्वारा ऐसे किसी संगम या संस्था को संदत्त राशियां, जिनका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के लिए कार्यक्रम चलाना है या वन रोपण है, का प्रयोग ऐसे कार्यक्रमों में या वनरोपण के लिए ऐसी निधियों में जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, कराधेय लाभ की संगणना करने में कटौती के लिए अनुज्ञात होगी । इस उपबंध के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं होगी जब तक संगम या संस्था के साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के ऐसे कार्यक्रम, जिसके लिए राशि का संदाय किया गया है, को विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाए ।

धारा 80 छछक के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी संगम या संस्था, जिसे धारा 35 गगख के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है, को संदत्त राशि का प्रयोग प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण या वनरोपण के किसी अनुमोदित कार्यक्रम में किया जाता है, किसी निर्धारती की, जो कोई कारबार या वृत्ति नहीं कर रहा है , कराधेय आय संगणना करने में कटौती के लिए अर्हित होगी । ऐसी ही कटौती उन मामलों में भी उपलब्ध है जहां राशियां वनरोपण के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निधि को संदत्त की जाती हैं ।

विधेयक उक्त धाराओं का ऐसे मामलों में, जहां राशियां 31 मार्च, 2002 के पश्चात् संदत्त की गई हों, कटौती अनुज्ञात न करने के लिए उपबंध करने के लिए है, चूंकि धारा में यह सुनिश्चित करने के लिए मानीटरिंग उपबंध नहीं है इसलिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और वनरोपण के अनुमोदित कार्यक्रम चलाने के लिए अनुमोदित संस्थाओं और संगमों को किए गए संदाय उक्त प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाते है। तथापि, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और वनरोपण के कार्यक्रमों को, नियम 11ट के साथ पठित धारा 35कग के प्रयोजन के लिए परियोजना या स्कीमों की सिफारिशें करने हेतु मार्गदर्शन सिद्धांतों में सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

[खंड 17, 30]

संगमों/संस्थाओं को अनुमोदन के प्रत्याहरण के मामलों में या पात्र परियोजनाओं या स्कीमों की अधिसूचना के प्रत्याहरण के मामले में प्राप्त रकमों/संदानों का आय के रूप में कर लगाया जाना

धारा 35 कग के विद्यमान उपबंधों के अधीन, पूर्व वर्ष के दौरान राष्ट्रीय समिति द्वारा किसी पब्लिक सैक्टर कंपनी या स्थानीय निकाय या किसी संगम या किसी संस्था को राष्ट्रीय समिति द्वारा पात्र परियोजना या स्कीम चलाने के लिए अनुज्ञात किया गया है, व्यय की गई रकम की कटौती करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा । पात्र परियोजना या स्कीम से जनता के सामाजिक और आर्थिक कल्याण का संवर्धन करने या लोक उत्थान करने के लिए जैसे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में राष्ट्रीय समिति की सिफारिश पर विनिर्दिष्ट अधिसूचित परियोजनाएं या स्कीमें अभिप्रेत है । तत्समान रूप से धारा 80 छछक ऐसे मामलों में कटौती का उपबंध करती है जहां निर्धारिती कोई कारबार या वृत्ति नहीं कर रहा है । उक्त धारा की उपधारा (4) यह उपबंध करती है कि जब राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाए कि कोई परियोजना या स्कीम किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं चलाई जा रही है तो वह संगम या संस्था को पहले दिए गए अनुमोदन का प्रत्याहरण कर सकती है । उपधारा (5) भी इस अधिसूचना के प्रत्याहरण का उपबंध करती है कि जहां परियोजना या स्कीम सभी या किन्हीं शर्तों के अधीन नहीं चलाई जा रही है जिनको आधार पर ऐसी परियोजना या स्कीम अधिसूचित की गई थी ।

धारा 35 कग का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि ऐसे मामलों में, जहां राष्ट्रीय समिति किसी संगम या संस्था को अपने द्वारा दिए गए अनुमोदन का इस आधार पर प्रत्याहरण कर लेती है कि परियोजना या स्कीम सभी या किसी ऐसी शर्त के अनुसार नहीं चलाई जा रही है जिसके अधीन रहते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया था या अधिसूचना जिसके माध्यम से परियोजना या स्कीम अधिसूचित की गई थी प्रत्याहृत कर ली जाती है, तो कंपनी या प्राधिकारी या संगम या संस्था द्वारा, यथास्थिति, अभिदान या संदान की सारी रकम या किसी कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से पात्र परियोजना या स्कीम के संबंध में उपगत व्यय, जिसके लिए राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदन प्रत्याहृत कर लिया गया था, को कंपनी या प्राधिकारी या संगम या संस्था, यथास्थिति, उस वर्ष की आय माना जाएगा जिसमें ऐसे अनुमोदन या सूचना का प्रत्याहरण किया गया था । ऐसी आय को अधिकतम उपांतिक दर पर इस प्रकार कराधेय किया जाएगा मानो ऐसी आय को, आय-कर अधिनियम के किसी भी उपबंध के अधीन छूट प्राप्त न हो । यह ऐसी कंपनी या प्राधिकारी या संगम या संस्था को इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अधीन अन्यथा उपलब्ध छूट के होते हुए भी होगा ।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से लागू होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

[खंड 16]

व्यक्तियों की परिभाषा का स्पष्टीकरण

धारा 2 के खंड (31) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, "व्यक्ति" पद में कोई व्यष्टिक, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, कंपनी, फर्म, व्यष्टियों का संगम, चाहे निगमित हो या नहीं, स्थानीय निकाय और प्रत्येक ऐसा कृत्रिम विधिक व्यक्ति सम्मलित है जो उपर्युक्त में से किसी के अधीन नहीं आता है ।

यद्यपि, व्यक्ति की परिभाषा समावेशित है और "जब तक संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो" अर्हक शब्दों से शुरू होती है, कुछ मामलों में दावा किया गया है कि कतिपय निकाय धारा (2) के खंड (31) में उपबंधित व्यक्ति की परिभाषा के अन्तर्गत केवल इसी कारण से नहीं आते हैं कि उनसे किसी आय या लाभ और अभिलाभ का होना आशयित नहीं है ।

इस संबंध में संदिग्धता से बचने के लिए और ऐसी स्थिति से भी बचने के लिए जहां ऐसे निकायों द्वारा कर का संदाय या किए गए भुगतानों पर कटौती नहीं की जाती है, धारा (2) के खंड (31) में एक स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि आय, लाभ या अभिलाभ अर्जित करने के प्रयोजन से व्यक्तियों का कोई निकाय या स्थानीय निकाय या प्राधिकारी या विधिक व्यक्ति का निर्माण किया गया या स्थापित किया गया या निगमित किया गया है।

यह संशोधन स्पष्टीकारक प्रकृति का है।

प्रस्तावित संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 3 (ख)]

लघु अवधि के लिए निगमित, निकायों के पूर्व-निर्धारण के लिए विशेष उपबंध

इस समय, ऐसे व्यक्तियों के मामले में जो लघु अवधि के लिए अस्तित्व में हैं और उसी निर्धारण वर्ष में या उसके पश्चात् शीघ्र ही विघटित हो जाते हैं, उनका निर्धारण करने के लिए आयकर अधिनियम में कोई उपबंध नहीं है।

अतः यह उपबंध करने के लिए नई धारा 174क अंतःस्थापित करना प्रस्तावित है जिससे कि जहां निर्धारण अधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि किसी विशिष्ट घटना या प्रयोजन के लिए व्यक्तियों का कोई संगम या व्यष्टियों का कोई निकाय या कृत्रिम विधिक व्यक्ति बनाया जाता है या स्थापित किया जाता है अथवा निगमित किया जाता है, वहां उसी निर्धारण वर्ष में जिसमें यह बनाया या स्थापित अथवा निगमित किया जाता है, विघटित होने की संभावना मालूम होती है, ऐसे व्यक्ति या निकाय अथवा कृत्रिम व्यक्ति की कुल आय, इसके विघटन की तारीख तक उस निर्धारण वर्ष के लिए पूर्ववर्ष की समाप्ति से अवधि के लिए उस निर्धारण वर्ष में कर प्रभार्य होगी। धारा 174 की उपधारा (2) से (6) के उपबंध, जहां तक हो सके किसी ऐसे व्यक्ति के मामले की किसी कार्यवाही को लागू होंगे जैसा कि भारत छोड़ रहे व्यक्तियों के मामले में लागू होते हैं।

प्रस्तावित संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 66]

धारा 133 क के अधीन सर्वेक्षण के दौरान पुस्तिकाओं को परिबद्ध करने की शक्ति प्रदान करने के लिए उपबंध करना

आय-कर अधिनियम की धारा 133 क के विद्यमान उपबंधों के अधीन, सर्वेक्षण करने वाले आय-कर प्राधिकारी की शक्तियां लेखा पुस्तिकाओं और निर्धारिती के कारबार या वृत्ति के स्थान पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों के निरीक्षण, उन पर पहचान चिन्ह लगाने, या प्रतियां तैयार करने या उनसे उद्धरण लेने, या अपने द्वारा जांच की गई या सत्यापित की गई नकदी, स्टाक या मूल्यवान वस्तु या चीज की तालिका बना सकता है और किसी व्यक्ति का कथन अभिलिखित कर सकता है जो आय-कर अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत हो ।

सर्वेक्षण के दौरान पाए गए किसी साक्ष्य को नष्ट करने या उसका दुर्विनियोग रोकने के उदेश्य से आय-कर प्राधिकारी को ऐसा करने के लिए कारणों को लेखबद्व करते हुए लेखा पुस्तिकाओं या उसके द्वारा सर्वेक्षण के दौरान निरीक्षित दस्तावेजों को परिबद्व करके अपनी अभिरक्षा में रखने के लिए सशक्त करने का प्रस्ताव है ऐसी लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को, मुख्य आयुक्त या महानिदेशक या आयुक्त या निदेशक का अनुमोदन प्राप्त किए बिना, 15 दिन से अधिक नहीं रखेगा।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा । ***[खंड 55]***

आय-कर की विवरणी विलंब से फाइल करने और स्थायी लेखा संख्यांक से संबंधित व्यतिक्रमों से संबंधित शास्तियों के उपबंधों का उपातंरतण

आय-कर अधिनियम की धारा 271च सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पूर्व धारा 139(1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने के या सम्यक तारीख से पूर्व धारा 139 (1) के पहले परन्तुक द्वारा यथा अपेक्षित विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहने पर पांच हजार रुपए की शास्ति का उपबंध करती है।

धारा 139(1) के अधीन और उस धारा के परन्तुक के अधीन फाइल की गई विवरणियों से संबंधित शास्तियों में असमानता को दूर करने के उद्देश्य से उस धारा को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिस धारा के प्रथम परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहने पर 5 हजार रूपए की शास्ति तभी उदगृहीत की जाएगी जब सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत तक विवरणी फाइल नहीं की जाती है ।

आय-कर अधिनियम की धारा 272 क की उपधारा (1) के खंड (घ)में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, स्थायी लेखा संख्यांक से संबंधित आयकर अधिनियम की धारा 139 क के उपबंधों को पूरा करने में असफल रहने पर 10 हजार रू0 की शास्ति उदगृहणीय है ।

स्थायी लेखा संख्यांक से संबंधित उपबंधों के अनुपालन के महत्व की दृष्टि से, उक्त खंड का धारा 272 क से उक्त खंड का लोप करने का प्रस्ताव है और उक्त अधिनियम में धारा 139क के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहने पर या ऐसे स्थायी लेखा संख्याक कोट करने या सूचित करने के लिए जो मिथ्या है, या 10 हजार रू0 की शास्ति का उपबंध करने के लिए एक नई धारा 272 ख अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है । ऐसी शास्ति का अधिरोपण करने से पहले निर्धारिती को सुने जाने का एक अवसर दिया जाएगा ।

आय-कर अधिनियम की धारा 273 ख में धारा 272 ख के प्रति निर्देश अन्तःस्थापित करने का यह और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसी शास्ति अधिरोपित न की जाए यदि यह साबित कर दिया जाता है कि असफल रहने के पीछे युक्तियुक्त कारण है । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति के हैं।

ये संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होंगे। ***[खंड 98, 99, 100 और 102]***

धारा 143 के अधीन सीमित निर्गमों पर आय के निर्धारण के लिए उपबंध करना

आय-कर अधिनियम की धारा 143 में निर्धारण के लिए अधिकथित निर्धारण के लिए विद्यमान प्रक्रिया के अधीन निर्धारण अधिकारी यदि आवश्यक या समीचीन समझें तो आय-कर अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन सूचना जारी करके निर्धारिती से ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है जिस पर वह अपनी विवरणी के समर्थन के लिए निर्भर रह सकता है । उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि ऐसे साक्ष्य को सुनने और सारी सुसंगत सामग्री को जिसे उसने एकत्रित किया है, गणना में लेने के पश्चात निर्धारण अधिकारी कुल आय या हानि और निर्धारिती को संदेय या प्रतिसंदेय राशि का अवधारण करते हुए निर्धारण का आदेश पारित करेगा ।

चूंकि, विद्यमान प्रक्रिया के अधीन संवीक्षा के लिए फाइल की गई बहुत कम प्रतिशत की विवरणियों पर विचार किया जाता है, एक ऐसे तंत्र का उत्सर्जन करने की आवश्यकता है जो कि कटौती, भत्ते आदि के गलत दावों का निरीक्षण करे और राजस्व की हानि को रोके । इसलिए, सीमित संवीक्षा की अवधारणा शुरू करने का प्रस्ताव है जिसमें यदि किसी निर्धारण अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी निर्धारिती द्वारा किया गया हानि , छूट, कटौती, भत्ते या अनुतोष का कोई दावा अननुज्ञेय है, तो वह धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन प्रस्तावित नए खंड (क) के अधीन दावे को विनिर्दिष्ट करते हुए एक नोटिस जारी करके निर्धारिती को अपने समर्थन में साक्ष्य और विवरण प्रस्तुत करने को कहेगा । ऐसी विशिष्टियों, ऐसे साक्ष्य को सुनने के पश्चात् और ऐसी विशिष्टियों पर विचार करने के पश्चात्, वह कुल आय या हानि का धारा 143 की उपधारा (3) के प्रस्तावित नए खंड के अधीन निर्धारण करेगा, वह स्वयं को उन दावों तक ही सीमित रखेगा जिन्हें उसने सत्यापन के लिए लिया था । यदि वह यह समझता है कि मामले की, अन्य मुद्दों की और संवीक्षा करने की आवश्यकता है, तो वह विवरणी की बृहत संवीक्षा करने हेतु नोटिस जारी करने के लिए स्वतंत्र होगा, जैसा कि इस समय किया जा रहा है ।

ये संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होंगे । ***[खंड 57]***

अग्रिम कर के संदाय की बाबत सूचना

धारा 210 की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, निर्धारण अधिकारी, ऐसे निर्धारिती को सूचना जारी करने के लिए सशक्त है जिसनें उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन कोई अग्रिम कर संदत्त नहीं किया है।

विधेयक, धारा 210 की उपधारा (3) के उपबंधों को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रस्तावित है और यह उपबंध करने के लिए है कि निर्धारण अधिकारी लिखित में किसी आदेश द्वारा अग्रिम कर का संदाय करने के लिए दायी किसी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा, यदि उसकी यह राय है कि ऐसे व्यक्ति ने धारा 211 के अधीन विनिर्दिष्ट तारीखों तक अग्रिम कर की कोई विनिर्दिष्ट किश्त संदत्त नहीं की है।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा। ***[खंड 89]***

तलाशी और अभिग्रहण के संबंध में उपबंधों का सुदृढ़ीकरण

आय-कर अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, प्राधिकृत अधिकारी, अन्य बातों के साथ, किसी भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान में प्रवेश करने और उनकी तलाशी लेने के लिए और तलाशी के परिणामस्वरूप पाई गई किसी भी लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों का अभिग्रहण करने के लिए सशक्त है।

तलाशी संक्रियाओं को और प्रभावी बनाने के लिए उपधारा (1) का संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि उसमें विनिर्दिष्ट शक्तियों के अतिरिक्त, प्राधिकृत अधिकारी को कोई ऐसे व्यक्ति से सभी ऐसी लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी को आवश्यक सुविधा प्रदान करने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी जिसके कब्जे या नियंत्रण में कोई लेखा बही या इलेक्ट्रानिक अभिलेख के रूप में रखे गए अन्य दस्तावेज हैं।

यह उपबंध करने के लिए आयकर अधिनियम में नई धारा 275ख अंतःस्थापित करना आगे प्रस्तावित है कि यदि कोई व्यक्ति जो प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अपेक्षित है, ऐसा करने में असफल रहता है तो वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से दंडनीय होगा जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और वह जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

आयकर अधिनियम की धारा 279 की उपधारा (1) में धारा 275ख का प्रतिनिर्देश भी अंतःस्थापित करना प्रस्तावित है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि धारा 279 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों में से किसी एक के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, धारा 275ख के अधीन किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति पर कार्यवाही नहीं की जा सके।

ये संशोधन 1 जून,2002 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, उस तारीख को या उसके पश्चात्, आरंभ की गई तलाशी या अध्यापेक्षा के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 53, 103 और 104]

वैज्ञानिक अनुसंधान संगम,समाचार अभिकरण, अधिसूचित न्यास या संस्था शैक्षणिक और चिकित्सीय संस्था आदि की दशा में अनुमोदन का प्रत्याहरण या अधिसूचना विखंडित करने की शक्ति

विद्यमान उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार या विहित प्राधिकरी के पास धारा 10 के खंड (21) में निर्दिष्ट वैज्ञानिक अनुसंधान संगम,खंड (22ख) में निर्दिष्ट समाचार अभिकरण, खंड (23क) में निर्दिष्ट संगम या संस्था, खंड (23ख) में निर्दिष्ट संस्था, खंड (23ग) के उपखंड (iv),उपखंड (v),उपखंड (vi) और उपखंड (viक) में विनिर्दिष्ट निधि, न्यास, संस्था, विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था, अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्था की दशा में, जारी अनुमोदन का प्रत्याहरण या अधिसूचना विखंडित करने की स्पष्ट शक्ति नहीं है।

धारा 10 के इन खंडों का, इन खंडों में क्रमशः एक परंतुक अंतःस्थापित करके संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे कि केन्द्रीय सरकार और विहित प्राधिकारी को, यदि केन्द्रीय सरकार और विहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि सभी या किसी विनिर्दिष्ट शर्त का उल्लघंन किया गया है, अधिसूचना विखंडित करने या अनुमोदन का प्रत्याहरण करने की स्पष्ट शक्तियां दी जा सके। अधिसूचना को विखंडित करने या अनुमोदन का प्रत्याहरण करने के ऐसे आदेश की एक प्रति ऐसे संगम,संस्था, आदि को भेजी जाएगी और निर्धारण अधिकारी को भी भेजी जाएगी।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध लागू होगा।

[खंड 4(ढ),खंड 4(ड),खंड 4(थ),खंड 4(द) और खंड 4ध]

वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था, समाचार अभिकरण, व्यवसाय संघ, अधिसूचित न्यास या संस्था, शैक्षाणिक और चिकित्सीय संस्था द्वारा विवरणियां फाइल करना

विद्यमान उपबंधों के अधीन, धारा 10 के खंड (21क) में निर्दिष्ट वैज्ञानिक अनुसंधान संगम, खंड (22ख) में निर्दिष्ट समाचार अभिकरण, खंड (23क) में निर्दिष्ट संगम या संस्था, खंड (23ख) में निर्दिष्ट संस्था, खंड (23ग) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट निधि या संस्था, उपखंड (v) में निर्दिष्ट न्यास या संस्था, उपखंड (vi) में निर्दिष्ट कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या उपखंड (vi)में निर्दिष्ट कोई अस्पताल या अन्य संस्था, खंड (24) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट व्यवसाय संघ या उपखंड (ख)में निर्दिष्ट व्यवसाय संघ का संगम उस आय की, जिसके संबंध में वे निर्धारणीय है, विवरणी फाइल करने के लिए बाध्य नहीं है। अतः, यह अभिनिश्चित करना संभव नहीं है कि क्या ये निकाय उन खंडों में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा कर रहे हैं या नहीं।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि धारा 139 में एक नई उपधारा (4ग) अंतःस्थापित की जाए, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि ऊपर वर्णित ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, यदि उसकी ऐसी कुल आय, जिसके संबंध में वह धारा 10 के उपबंधों को प्रभावी किए बिना, निर्धारणीय है ऐसी अधिकतम रकम से अधिक है जो आय-कर से प्रभार्य है, पूर्ववर्ती वर्ष की ऐसी आय की विवरणी प्रस्तुत करेगा।

धारा 272क का संशोधन किया जाना भी प्रस्तावित है, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि विवरणियों के फाइल करने के परिणामस्वरूप इस धारा के अधीन शास्ति उदगृहीत की जा सकेगी।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-04 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 56 और खंड 100]

वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था, समाचार अभिकरण, अधिसूचित न्यास या संस्था शैक्षाणिक और चिकित्सीय संस्था आदि की दशा में निर्धारण किए जाने की प्रक्रिया

विद्यमान उपबंधों के अधीन धारा 10 के खंड (21),खंड (22ख), खंड (23क), खंड (23ख) और खंड (23ग)(iv),(v),(vi) और (viक) में उल्लिखित इकाइयां विवरणियां फाइल करने के लिए बाध्य नहीं थी, क्योंकि उनकी आय,कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाती थी। इसलिए, यह अभिनिश्चित करना संभव नहीं था कि क्या ये इकाइयां उन शर्तों का पालन कर रही थी जिनके अधीन उनकी आय को धारा 10के अधीन छूट प्राप्त थी। ये इकाइयां या तो अनुमोदित हैं अथवा अधिसूचित हैं और उनके द्वारा उनकी आय की विवरणी फाइल करना अपेक्षित होगा ।

धारा 143 का संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है, जिससे कि यह उपबंधित किया जा सके कि धारा 10 के खंड (21) में निर्दिष्ट ऐसा वैज्ञानिक अनुसंधान संगम, खंड (22ख) में निर्दिष्ट ऐसा समाचार अभिकरण,खंड (23क) में निर्दिष्ट ऐसा संगम या संस्था या खंड (23ख) में निर्दिष्ट संस्था या खंड (23ग) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट ऐसी निधि या संस्था अथवा उपखंड (v) में निर्दिष्ट ऐसा न्यास या संस्था अथवा उपखंड (vi) में निर्दिष्ट ऐसा कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या उप खंड (viक) में निर्दिष्ट ऐसा कोई अस्पताल या अन्य संस्था, में से प्रत्येक की दशा में, जिससे धारा 139 की उपधारा (4ग) के अधीन आय की विवरणी फाइल करना अपेक्षित है, निर्धारण अधिकारी ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान संगम, समाचार अभिकरण, संगम या संस्था या निधि या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक-संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्था की कुल आय या हानि का (धारा 10 के उपबंधों को प्रभावी किए बिना) निर्धारण आदेश तक नहीं करेगा जबकि उसने केन्द्रीय सरकार या विहित प्राधिकारी को, जहां उसके विचार से ऐसे खंडों मे अंतर्विष्ट उपबंधों का उल्लघंन हुआ है, ऐसे उल्लघंन की संसूचना न दे दी हो और उक्त संसूचना के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना विखंडित न कर दी गई हो या विहित प्राधिकारी द्वारा दिए गए अनुमोदन का प्रत्याहरण न कर लिया गया हो।

चूंकि केन्द्रीय सरकार को संसूचना भेजने की प्रक्रिया और अधिसूचना को विखंडित करने वाले या अनुमोदन का प्रत्याहरण करने वाले आदेश की प्राप्ति में समयांतर होगा,इसलिए धारा 153 का संशोधन करने का भी प्रस्ताव किया जाता है, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि उस तारीख से, जिसको निर्धारण अधिकारी धारा 143 की उपधारा (3) के परंतुक के खंड (क) के अधीन धारा 10 के खंड(21) या खंड (22ख) या खंड (23क) या खंड(23ख) या खंड (23ग) के उपखंड(vi) या उपखंड (v) या उपखंड (viक) के उपबंधों के उल्लघंन की संसूचना केन्द्रीय सरकार या विहित प्राधिकारी को करता है, आरंभ होकर उस तारीख को, जिसको इन खंडों के अधीन, यथास्थिति, अनुमोदन का प्रत्याहरण या अधिसूचना का विखंडन करने वाले आदेश की प्रति निर्धारण अधिकारी को प्राप्त होती है, समाप्त होने वाली अवधि को इस धारा के अधीन परिसीमा की अवधि की गणना के लिए सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और निर्धारण वर्ष 2003-04 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 57 और खंड 58]

किसी निधि, न्यास या संस्था, विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था और अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्था की आय के संचयन के लिए उपांतरित शर्तें और ऐसे संचयन में से संदायों या जमा पर निबंधन

धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ, आय के पच्चीस प्रतिशत का संचयन, बिना किसी शर्त के असीमित अवधि के लिए अनुज्ञात करते हैं।

असीमित अवधि के लिए आय के पच्चीस प्रतिशत का संचयन अनुज्ञात करने वाले उपबंधों का लोप करके और यह उपबंध करके कि जहां 1 अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात् आय का संचयन किया जाता है, ऐसे संचयन की कुल अवधि किसी भी दशा में, पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी, धारा 10 के खंड (23ग) में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है।

धारा 10 के खंड (23ग) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट निधि या न्यास या संस्था या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या कोई अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्था प्राप्ति के वर्ष के दौरान अपनी आय को उपयोजित नहीं करती है और उसका संचयन करती है, वहां ऐसे संचयन में से धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था या उपखंड (iv) तया उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी निधियां या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्था को किया गया संदाय या जमा आय का ऐसे उद्देश्यों के लिए, जिसके लिए इकाई की स्थापना की गई है, उपयोजन नहीं माना जाएगा।

ये संशोधना 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष, 2003-04 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 4(ध)]

किसी पूर्त या धार्मिक न्यास की आय के संचयन के लिए उपांतरित शर्तें

धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी न्यास की आय के पच्चीस प्रतिशत का संचयन, बिना किसी शर्त के, अनिश्चित अवधि के लिए किया जा सकता है।

अब यह उपबंध करने का प्रस्ताव किया जाता है कि यदि न्यास के अधीन धारित संपत्ति से व्युत्पन्न ऐसी संपूर्ण आय को, जिसे पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजित नहीं किया जाता है किन्तु ऐसे प्रयोजनों पर उपयोजन के लिए नहीं

(i) संचयन किया जाता है या वह पृथक् रखी जाती है,

(ii) अंतिम रूप से पृथक रखी जाती हैं,

धारा 11 की उपधारा (2) मे विहित शर्तों के अधीन रहते हुए संचयित किया जा सकता है।

उपरोक्त संशोधन के परिणामस्वरूप, धारा 11 की उपधारा (1) के विद्यमान स्पष्टीकरण को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि धारा 11 की उपधारा (1ख) को यह उपबंध करने के लिए प्रतिस्थापित किया जाए कि जहां ऐसी किसी आय का, जिसकी बाबत उक्त उपधारा के स्पष्टीकरण के अधीन किसी विकल्प का प्रयोग किया जाता है, उस पूर्व वर्ष के दौरान, जिसमें आय प्राप्त की गई थी या उससे ठीक आगामी वर्ष के दौरान पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजन नहीं किया जाता है, वहां ऐसी आय को उस पूर्व वर्ष के, जिसमें आय प्राप्त की गई थी, ठीक आगामी वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष की आय माना जाएगा।

उपधारा (2) में "का पचहत्तर प्रतिशत" शब्दों का लोप करने का भी प्रस्ताव किया जाता है, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि यदि न्यास के अधीन धारित संपत्ति से व्युत्पन्न संपूर्ण आय का पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजन नहीं किया जाता था तो उसे उपयोजित

किया गया नहीं समझा जाता, अपितु उसका संचयन किया जाता है या पृथक् रखा जाता है तो इस प्रकार संचयित या पृथक् रखी गई आय को, आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पूर्ववर्ती वर्ष की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि इस उपधारा में विर्निर्दिष्ट शर्तों का पालन किया जाता है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्वार्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 7]

पूर्त या धार्मिक न्यासों की संचयित आय के उपयोजन पर निर्बंधन

धारा 11 की उपधारा (2) में नीचे एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव किया जाता है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि उस उपधारा के स्पष्टीकरण के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट न्यास के अधीन धारित संपत्ति से आय में से, जिसका उपयोजन नहीं किया गया है अपितु संचयन किया गया है या पृथक् रखा गया है, धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था अथवा धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी निधियां संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अन्य अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्था को, या तो संचयन की अवधि के दौरान या उसके पश्चात् संदत्त या जमा की गई किसी रकम को आय का पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजन नहीं समझा जाएगा।

इस प्रकार, प्राप्ति वर्ष में न्यास के अधीन धारित संपत्ति की आय में से अन्य न्यासों और संस्थाओं को किए गए संदायों को आय का उपयोजन समझा जाता रहेगा। तथापि, संचयित आय में से किए गए किसी संदाय को आय का उपयोजन नहीं माना जाएगा और उस पर तद्नुसार, कर लगाया जाएगा।

धारा 11 की उपधारा (3) में एक नया खंड (घ) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव किया जाता है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई आय, धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था को अथवा धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी अस्पताल या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय, या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्था को संदत्त या उसमें जमा की जाती है तो ऐसा संदाय या जमा, न्यास के अधीन धारित संपत्ति से आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति की, ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष की, जिसमें ऐसा संदाय या जमा किया जाता है, आय समझा जाएगा।

यह और प्रस्ताव किया जाता है कि उपधारा (3क) में एक परतुंक अंतःस्थापित किया जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारण अधिकारी धारा 11 की उपधारा (3) के प्रस्तावित खंड (घ) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए संदाय या किए गए जमा के माध्यम से संचयित आय का उपयोजन अनुज्ञात नहीं करेगा या निर्धारण अधिकारी के अन्य पूर्त या धार्मिक न्यासों और संस्थाओं को संदाय या जमा करने के लिए न्यासों को संचित आय का उपयोजन अनुज्ञात करने के उपधारा (3) में विवेकाधिकार वापस लेता है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-04 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 7]